न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 27 / 2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025 / 40

उनवान

1. ओमप्रकाश उर्फ हरिओम उर्फ हरिशचन्द्र पिता घीसुलाल ब्राहम्ण निवासी रायपुर तह. रायपुर

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज – वादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 13/4/2026

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ग्राम रायपुर का स्थाई निवासी होकर वादी को घर पर प्यार से हरिओम व हरिशचन्द्र के नाम से पुकारते है परन्तु वादी का वास्तविक नाम ओमप्रकाश है। वादी के स्कूल रेकार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मूल निवास में वादी का वास्तविक नाम ओमप्रकाश दर्ज है। वादी के स्कूल टीसी, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड व मूल निवास की प्रति वादपत्र के साथ पेश है।
2. वादी की खातेदारी कृषि आराजियात ग्राम रायपुर के खाता संख्या 151 में अंकित कुल किता 5 कुल रकबा 0.37 है0 स्थित है जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा व खाता संख्या 70 में अंकित कुल किता 4 कुल रकबा 1.03 है0 जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा, एवं खाता संख्या 71 में अंकित चाह संख्या 864 में वादी का 1/8 हिस्सा है। खाता संख्या 71 में अंकित चाह संख्या 864 में वादी का 1/8 हिस्सा है। खाता संख्या 70 व 71 में वादी का नाम नामान्तरण दर्ज करने समय हरिशचन्द्र दर्ज कर दिया गया है जो वादी के ही नाम होकर घर के नाम है परन्तु वादी का वास्तविक नाम सरकारी दस्तावेजो में ओमप्रकाश है। तथा इसके सम्बन्ध में वादी के भाईयों शपथ पत्र वादपत्र के साथ पेश है।
3. वादपत्र की कलम संख्या 2 में अंकित कृषि आराजियात में वादी का वास्तविक नाम ओमप्रकाश के बजाय हरिओम व हरिशचन्द्र दर्ज कर देने से वादी को काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है तथा वादी को सरकार की तरफ से मिलने वाली सरकारी सहायता व अनुदान नही मिल पा रहा है।
4. अतः वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की इन्द्राज दुरस्ती की घोषणात्मक डिकी सादिर फरमाई जावे कि ग्राम रायपुर में स्थित खाता संख्या 151 में दर्ज वादी का नाम हरिशचन्द्र के बजाय ओमप्रकाश व खाता संख्या 70 व 71 में दर्ज वादी का

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

नाम हरिओम के बजाय ओमप्रकाश दर्ज करने के आदेश दिए जावे तदानुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान फरमाया जाए।

5. प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 18.08.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी तहसीलदार रायपुर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है।

6. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांकः–राजस्व / 2025 / 173 दिनांक 29.12.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अकंन किया कि :–

   1. वादपत्र के बिन्दु संख्या 1 वादी स्वयं सिद्व करे।
   2. ग्राम रायपुर के खाता संख्या 151 किता 5 कुल रकबा 0.37 है0 में वादी का नाम हरिशचन्द्र पुत्र घीसूलाल हिस्सा 1 / 8 ब्राहम्ण सा.देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है इसके अलावा केमुनिया के खाता संख्या 70 किता 4 कुल रकबा 1.03 है0 व खाता संख्या 71 खसरा नम्बर 864 रकबा 0.02 है0 किस्म गे.मु. आचा में वादी का नाम हरिओम पुत्र घीसुलाल ब्राहम्ण सा. रायपुर दर्ज रेकार्ड है। इसलिए बिन्दु संख्या 2 आंशिक स्वीकार है।
   3. वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 में अंकित तथ्यो को वादी स्वयं सिद्व करे
   4. वादपत्र के बिन्दु संख्या 4 लगायत 8 का जवाब अपेक्षित नही है।
   5. ग्राम रायपुर के जरिए नामान्तरण संख्या 2596 विरासत के आराजियात 1420 से 1424 व 1670 किता 5 कुल रकबा 0.37 है0 में घीसुलाल पिता गोरीलाल ब्राहम्ण के बजाय कालुलाल, प्रहलादराय, कैलाशचन्द्र, हरिशचन्द्र पिता घीसुलाल के नाम पर नामान्तरण निर्णय दिनांक 20.12.2001 से स्वीकृत होकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हुआ जो सही है।
   6. ग्राम केमुनिया के जरिए नामान्तरण संख्या 1581 निर्णय दिनांक 27.05.1995 विक्रय पत्र के कालुलाल, प्रहलाद, कैलाश, हरिओम पिता घीसुलाल ब्राहम्ण के नाम साबिक आराजी संख्या 625, 627 / 1, 638 / 1, 639, 740 / 1 किता 5 कुल रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा एवं आराजी संख्या 737 रकबा में नामान्तरण निर्णित होकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद पश्चात् नामान्तरण संख्या 1735 निर्णय दिनांक 30.06.2000 से कुल किता 8 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा से विरासत से कालुलाल, प्रहलाद, कैलाश, हरिओम पिता घीसूलाल व अन्य के नाम निर्णित होकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हुआ है जो सही है।

7. वादपत्र एवं तहसीलदार रायपुर के जवाब के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

   1. आया वादपत्र की संख्या 1 में अंकित कृषि आराजियात में वादी का सरकारी दस्तावेजो में नाम ओमप्रकाश होने से वादी उक्त भूमियों में अपना नाम ओमप्रकाश दर्ज कराने की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है ? जिम्मे वादी
   2. अनुतोष ?

8. वादी ने साक्ष्य वादी में स्वयं का शपथ पत्र पर बयान प्रस्तुत किये गये। बयानों में अंकन किया कि वादी ग्राम रायपुर का स्थाई निवासी होकर वादी को घर पर प्यार से हरिओम व हरिशचन्द्र के नाम से पुकारते है, परन्तु वादी का वास्तविक नाम ओमप्रकाश है। वादी के स्कूल रेकार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मुल निवास मे वास्तविक नाम ओमप्रकाश दर्ज है। वादी के स्कूल की टी.सी. आधार कार्ड, जन आधार कार्ड व मुल निवास की प्रति वादपत्र के साथ पेश की है।

सहायक कलक्टर

वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आश की घोषणात्मक डिकी सादिर फरमाई जावे कि ग्राम रायपुर के खाता संख्या 151 में दर्ज वादी का नाम हरिशचन्द्र के बजाय ओमप्रकाश व खाता संख्या 70, 71 में दर्ज वादी का नाम हरिओम के बजाय ओमप्रकाश दर्ज करने का आदेश दिए जावे, तदनुसार राजरव रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

9. प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस में वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादी को हरिओम व हरिशचन्द्र नाम से पुकारा जाता है परन्तु वादी के अधिकारिक दस्तावेजो में नाम ओमप्रकाश है। सहखातेदारों के शपथ पत्र पत्रावली में पेश किए है जिनमें उन्होने वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में ओमप्रकाश करने पर सहमति जताई है। वादी को जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजो में नाम में भिन्ना के कारण सरकारी सहायता लेने में समस्या रहती है। अतः राजस्व खाता संख्या 151, 70, 71 में वादी का नाम संशोधित कर ओमप्रकाश किया जाए।

10. न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि वादपत्र के साथ सहखातेदार प्रहलादराय पुत्र घीसुलाल, कैलाशचन्द्र पुत्र घीसुलाल, कालुलाल पुत्र घीसुलाल द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए है जिनमें अंकन अनुसार वादी को परिवार में प्रेम से हरिशचन्द्र व हरिओम के नाम से पुकारा जाता है। चूंकि वादी के सभी आधिकारिक दस्तावेजो में वादी का नाम ओमप्रकाश शर्मा पुत्र घीसुलाल शर्मा अंकित है। अतः राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम ओमप्रकाश पिता घीसुलाल किए जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नही है। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया एंव खाता संख्या 151, 70, 71 की जमाबन्दीयां प्रदर्श कराई गई। खाता संख्या 151 में वादी का नाम हरिशचन्द्र पुत्र घीसुलाल तथा खाता संख्या 70, 71 में वादी का नाम हरिओम पुत्र घीसुलाल अंकित है। प्रदर्श–7 जनआधार कार्ड, प्रदर्श–8 आधारकार्ड, प्रदर्श–9 मूल निवास प्रमाण पत्र, प्रदर्श–10 विद्यालय स्थानान्तरण पत्र में वादी का नाम ओमप्रकाश पिता घीसुलाल अंकित है। उक्त वर्णित तथ्यो से स्पष्ट होता है कि हरिशचन्द्र, हरिओम, ओमप्रकाश एक ही व्यक्ति है। अतः वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में हरिशचन्द्र, हरिओम के बजाय ओमप्रकाश पिता घीसुलाल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् स्वीकार किया जाता है। ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 151 में वादी का नाम हरिशचन्द्र पिता घीसुलाल के बजाय ओमप्रकाश पिता घीसुलाल एवं ग्राम केमुणिया के खाता संख्या 70, 71 में वादी का नाम हरिओम पिता घीसुलाल के बजाय ओमप्रकाश पिता घीसुलाल निवासी रायपुर की इन्द्राज दुरूस्ती का आदेश देते हुए घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिकी जारी होकर राजरव रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 13/4/26 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाडा पीठासीन

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 27 / 2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025 / 40

उनवान

1. ओमप्रकाश उर्फ हरिओम उर्फ हरिशचन्द्र पिता घीसुलाल ब्राहम्ण निवासी रायपुर तह. रायपुर

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 13/5/26

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् स्वीकार किया जाता है। ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 151 में वादी का नाम हरिशचन्द्र पिता घीसुलाल के बजाय ओमप्रकाश पिता घीसुलाल एवं ग्राम केमुणिया के खाता संख्या 70, 71 में वादी का नाम हरिओम पिता घीसुलाल के बजाय ओमप्रकाश पिता घीसुलाल निवासी रायपुर की इन्द्राज दुरुस्ती का आदेश देते हुए घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 13/5/26 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा